प्रस्तावित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के समयबद्ध निर्माण/योजना पर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (H.P.C./Steering Committee) की दिनांक: 19.02.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री आनन्द बर्धन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर0के0 सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, नियोजन/ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री हरि चन्द्र सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. रजनी शुक्ला, अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
7. डॉ0 समीर सिन्हा, PCCF W/L, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री विजय कुमार जोगदण्डे, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री जे0एल0शर्मा, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री जयपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. श्री सुभाष चन्द्र, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 सिंचाई विभाग।
12. श्री अनुपम रतन, CE(G), पेयजल निगम।
13. श्री जी0पी0 पन्त, सलाहकार (नियोजन), उत्तराखण्ड शासन।
14. श्री प्रशान्त विश्नाई, अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, यू0पी0डी0सी0सी0।

बैठक में उपस्थित परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध (150.6 मी0 ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना में हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 की पुर्वानुमानित जनसंख्या (10.65 लाख) के आधार पर **117 एम0एल0डी0 पेयजल** का प्राविधान किया गया है तथा वर्तमान में पेयजल हेतु नलकूपों से हो रही जलापूर्ति पर निर्भरता कम होगी। नवीनतम फसल चक्र एवं जल उपलब्धता के आधार पर तैयार की गयी परियोजना से कुल **सी0सी0ए0 वर्तमान में 150027 है0** है। परियोजना से उत्तराखण्ड के 9458 है0 एवं उत्तर प्रदेश के 47607 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन सुविधा उपलब्ध होगी। महाप्रबन्धक जमरानी द्वारा परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। जो कि निम्नवत् हैं :–

(I) परियोजना से सम्बन्धित वांछित स्वीकृतियों की अद्यतन स्थिति :

परियोजना हेतु वांछित समस्त स्वीकृतियाँ भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से प्राप्त हो चुकी है। **Stage – II Forest Clearance** माह जनवरी 2023 में प्राप्त हो चुकी है। परियोजना से आच्छादित क्षेत्र दुधवा लग्गा टाइगर रिजर्व से सम्बन्धित होने के दृष्टिगत National Tiger Conservation Authority से सम्बन्धित अनापत्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 77वीं बैठक दिनांक 30.01.2024 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान इस आशय से प्रदान की गई है कि गठित Site Inspection Committee द्वारा दी गयी शर्तों के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड से Undertaking प्राप्त कर ली जाये।

Scanned with CamScanner

/192504/2024

(ii) पी0आई0बी0 एवं आर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी द्वारा स्वीकृत लागत :

Approved Cost at May 2018 PL of Project by MoJS under PMKSY			
S.N	Project Component	Cost (in INR crore)	Remarks
1	Approved cost of Project	2584.10	Cost Appraisal (Irrig.)-I Dte., CWC, GoI approved the cost of the project on 04-02-2019 at PL May 2018 which includes the cost of Power Component.
2	Cost due to power component	569.20	Irrig. Planning (N) Dte., CWC, GoI approved the BC ratio on 09-02-2019 in which cost of power component has been taken Rs 569.20 crore.
3	Establishment cost for balance works ie other than power component	189.16	Cost Appraisal (Irrig.)-I Dte., CWC, GoI approved the cost of the project on 04-02-2019 at PL May 2018 which includes the Establishment Cost
4	Expenditures already incurred due to balance works ie other than power component	95.54	Expenditure already incurred up to March 2022
5	Revised Project Cost without power component eligible for funding under PMKSY (1-2-3-4)	1730.20	
6	Centre Share	1557.18	90% of Cost without power component of Project .
7	State Share	173.02	10% of Cost without power component of Project .

दिनांक 31.10.2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा परियोजना की वर्ष 2018 के मूल्य स्तर पर स्वीकृत लागत रु0 2584.10 करोड़ के सापेक्ष पी0एम0के0एस0वाई0–ए0आई0बी0पी0 योजना अन्तर्गत वित्त पोषण केन्द्रांश रु0 1557.18 करोड तथा परियोजना लागत में वृद्धि राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने आदि शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में विभाग द्वारा परियोजना की वर्ष 2023 के मूल्य स्तर पर पुनरीक्षित लागत रु0 3678.23 करोड़ का अनुमोदन नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा किया गया है।

(iii) उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य लागत एवं जल के अंश का समझौता :

- परियोजना से लाभान्वित उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य दिनांक 22.02.2018 को जल बटवारे एवं निर्माण लागत बंटवारा से सम्बन्धित एम0ओ0यू0 निष्पादित हो चुका है। एम0ओ0यू0 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सिंचाई अंश (जल वितरण प्रणाली को छोड़कर), जो बांध की लागत का 50 प्रतिशत है, की 57 प्रतिशत लागत वहन की जायेगी। शेष लागत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वहन की जानी है।
- आर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी द्वारा ऊर्जा अवयव की लागत, योजना पर पूर्व में किये गये व्यय एवं स्थापना व्यय (Establishment Cost) के अतिरिक्त परियोजना की लागत रू0 1730.20 करोड़ का वित्त पोषण पी0एम0के0एस0वाई0 के अन्तर्गत 90:10 (केन्द्रांश : राज्यांश) के अनुपात में स्वीकृत किया गया है। राज्यांश एवं बडी हुई लागत के आधार पर एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का शेयर रू0 688.65 करोड़ आता है तथा उत्तराखण्ड राज्य का शेयर रू0 1432.40 करोड़ आता है।
- एम0ओ0यू0 की व्यवस्था एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्क्रीनिंग कमेटी के कार्यवृत्त के अनुसार **राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त बढ़ी हुई लागत का भी शेयर** एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुसार **निर्धारित किया जायेगा।**

(iv) निविदा प्रक्रिया :

- मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2023 को आहूत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2024 को परियोजना में प्रस्तावित तकनीकी परिवर्तनों का अनुमोदन कर

...SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 22/02/2024 12:23 PM

Scanned with CamScanner

लिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग से परियोजना के Cost Appraisal सहित समस्त स्वीकृतियां यथा Investment Clearance, PIB एवं अर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी से पुनः अनुमोदन में लगने वाले अधिक समय के दृष्टिगत परियोजना की राज्य के नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत (रू0 3678.23 करोड + रू0 129.93= रू0 3808.16 करोड) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तावित है।

- नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना की पुनरीक्षित लागत (रू 3678.23 करोड + रू 129.93 = रू0 3808.16 के आधार पर परियोजना संबंधी निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है जिससे परियोजना कार्यों को गति दी जा सके।

(V) जल शक्ति मंत्रालय एवं उत्तराखण्ड सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 :

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2023 को आहूत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के कम में आयुक्त, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार एवं सचिव सिंचाई उत्तराखण्ड शासन के मध्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा–निर्देशों में संलग्न प्रारूप एम0ओ0यू0 के अनुसार Draft MoU परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है तथा Draft MoU का अनुमोदन प्रस्तावित है।

(VI) पुनर्वास स्थल हेतु हस्तांतरित 300.5 एकड भूमि पर मास्टर प्लानिंग :

- परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु जनपद उधमसिंहनगर के प्राग फार्म में ग्राम गडरियाबाग में 300.5 एकड भूमि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है। पुनर्वास स्थल पर अवस्थापना विकास कार्यों हेतु पूर्व में दिनांक 11.01.2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में Master Planning सम्बन्धी कार्य मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोर्जन विभाग के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया था। कार्य में वांछित गति ना आ पाने के दृष्टिगत उक्त कार्य यू0पी0डी0सी0सी0 के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

(VII) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में दिनांक 17.11.2023 को आहूत एच0पी0सी0 की बैठक के प्रस्तर–6 (2) में निम्नवत् निर्णय लिया गया था :–

उक्त परियोजना की पुनरीक्षित अवशेष कार्यों की लागत रू0 3678.23 करोड़ का अनुमोदन नियोजन विभाग उत्तराखण्ड की शासन की टी0ए0सी0 द्वारा किया गया। केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा तकनीकी परिवर्तन एवं Cost appraisal के उपरान्त तकनीकी समिति से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

उक्त के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जमरानी द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2023 को आहूत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2024 को परियोजना में प्रस्तावित तकनीकी परिवर्तनों का अनुमोदन कर लिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग से परियोजना के Cost Appraisal सहित समस्त स्वीकृतियां यथा Investment Clearance, PIB एवं अर्थिक मामलों की केबिनेट कमेटी से पुनः अनुमोदन में लगने वाले अधिक समय के दृष्टिगत परियोजना की टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत (रू0 3678.23 करोड + रू0 129.93 करोड = रू0 3808.16 करोड) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तावित है।

Scanned with CamScanner

/192504/2024

प्रश्नगत परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में National Tiger Conservation Authority की अनापत्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 77वीं बैठक दिनांक 30.01.2024 में दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में गठित Site Inspection Committee द्वारा दी गयी शर्तो के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड से Undertaking प्राप्त करने हेतु वन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
2. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के तकनीकी परिवर्तनों पर अनुमोदन एवं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा NTCA सम्बन्धी अनापत्ति पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में उक्त परियोजना की पुनरीक्षित अवशेष कार्यो की टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत लागत (रू0 3678.23 करोड + रू0 129.93 करोड = रू0 3808.16 करोड) की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति इस आशय के साथ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया कि उपरोक्त लागत का अनुमोदन मा0 मंत्रिमंडल से प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिये दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तावित मा0 मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। तात्कालिकता के दृष्टिगत प्रकरण को मा0 मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्शी विभागों से परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
3. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यो की निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी ताकि परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ कर ससमय पूर्ण किए जा सकें।
4. पी0एम0के0एस0वाई0–ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत वित्त पोषित उक्त परियोजना को समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्राशं हेतु जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार एवं सचिव सिंचाई उत्तराखण्ड शासन के मध्य MoU हस्ताक्षरित करने पर सहमति प्रदान की गई।
5. परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु विस्थापन स्थल पर Master Planning सम्बन्धी कार्यवाही नगर नियोजन विभाग के स्थान पर उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0, सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित किए जाने का निर्णय लिया गया।
6. बैठक में यह भी बिन्दु प्रकाश में आया कि हल्द्वानी में अन्य योजनाओं जैसे USSDA द्वारा जल आपूर्ति हेतु कार्य कराये जा रहे हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि Water Supply Distribution हेतु जो भी कार्य कराये जा रहे हैं, भविष्य में जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु लिये गये कार्यो में Distribution एवं अन्य मदों को न लिया जाय, अर्थात् पेयजल के कार्यो का कदापि दोहराव, (Duplicacy) न हो। इस सम्बन्ध में तीनों विभाग–पेयजल, सिंचाई एवं शहरी विकास विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 21-02-2024 20:54:55

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

Irrigation and Minor Irrigation Department on 22/02/2024 12:23 PM
Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
ई पत्रावली सं0–12992
देहरादून, दिनांक : २२ फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
11. अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
13. सलाहकार, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
15. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 22-02-2024 10:55:30

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(नियोजन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 882 / प्रा0 अ0 / सि0 वि0 / नि0 अनु0 / जमरानी / दि0:- 24.2.24

Copy to MD, UPDCC, Yamuna colony for n/a

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नियोजन)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

No.- 120 /UPDCC/ दिनांक 27/02/2024
प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, पी०आई०यू०, जमरानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 22/02/2024 12:23 PM

Scanned with CamScanner